

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1424/2011/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त-बांसवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ए.बी.एन्टर प्राईजेज,
चांदपोल, जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक
श्री अभिषेक अजमेरा
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 20.02.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 126/10-11/वैट/ मकराना में पारित आदेश दिनांक 17.03.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-बांसवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 58,320/- को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम वृत्त-बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 03-04-2010 को रतनपुर एन.एच. 9 पर वाहन संख्या जीजे.18/X/8729 को चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में लदे डोकेट नं. 097900042324 से संबंधित माल इलेक्ट्रिकल माल के समर्थन में घोषणा प्रपत्र वैट-47 पेश नहीं करने पर संबंधित माल को अधिसूचित वस्तु की श्रेणी में मानते हुए अधिनियम की धारा-76(2) सपटित नियम 53(1) के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण अधिनियम की धारा-76(6) के तहत करापवंचन का अभियोग दर्ज कर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। इस संबंध में कर निर्धारण द्वारा उक्त कमियों के लिये प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा पेश जवाब में अंकित किया कि वाहन में लदा माल रेलवे विभाग को जाना बताया है इसलिये वैट-47 की आवश्यकता नहीं बतायी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत इनवॉइस नं. SIHC 290248137 में माल क्रेता प्रत्यर्थी को घोषित किया गया था। उस परिस्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ वैट-47

का होना बाध्यकारी मानते हुए परिवहनित माल इलेक्ट्रिकल गुड्स पर वैट-47 के अभाव में प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम धारा-76(6) के तहत माल कीमतन रु. 1,94,393/- पर 30 प्रतिशत से शास्ति रु. 58,320/- आरोपित की गई है। उक्त आरोपित शास्ति के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जिससे क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि माल चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रिकल माल पाया गया, जो अधिसूचित माल की श्रेणी में आने से उसके परिवहन के समय साथ घोषणा पत्र वैट-47 होना आज्ञापक है। उनका कथन है कि परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 58,320/- आरोपित की गई है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की प्रावधानों के अनदेखी करते हुए विधि के विरुद्ध एवं प्रकरण के तथ्यों के प्रतिकूल अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो अपास्तनीय है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2011 को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी ने एक डिपों स्टोर कीपर से आदेश प्राप्त किया जिसके तहत प्रत्यर्थी ने Integra Hinfustan Cntrol Ltd. Halol Chaoaner Road, Taluka Halol, Fistoanchmahal, Gujarat से नार्थ वेस्ट रेलवे के लिये माल आयात किया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने इलेक्ट्रिकल्स गुड्स माल मानते हुए शास्ति आरोपित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि नार्थ रेलवे के आर्डर में कोई भी इलेक्ट्रिकल्स गुड्स का माल परिवहनित नहीं किया गया और न ही परिवहनित माल नोटिफाईड गुड्स की श्रेणी में आता है, इसलिए उक्त परिवहनित माल पर घोषणा प्रपत्र वैट-47 की आवश्यकता नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने गलत तथ्यों के आधार पर घोषणा पत्र वैट-47 की आवश्यकता बताई है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने भारतीय रेल विभाग के आदेश से ही माल कय किया था जिसमें नार्थ रेलवे के आर्डर में कोई भी इलेक्ट्रिकल्स गुड्स संबंधी आदेश नहीं है, और न ही नोटिफाईड गुड्स की श्रेणी में आता है। उन्होंने यह भी कथन किया कि संबंधित माल RRI Point group tiype RS Sk 3515/19 Non-A.c. Immurised अधिनियम की धारा-8(3) के तहत




शेड्यूल नं. II में क्रम संख्या 6 में स्पष्ट है कि भारतीय रेलवे को भेजा गया माल कर मुक्त घोषित कर रखा है, अतः वैट प्रपत्र-47 की आवश्यकता केवल कर योग्य माल पर ही होती है। चूंकि यह माल कर मुक्त है तथा उक्त माल इलेक्ट्रिकल गुड्स की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि Signal Relays (हां अथवा ना में आदेश रिले दर्शाता है) में काम आता है जिसे RRI Point कहते हैं जो एक टेलीकम्यूनिकेशन का सामान है जो संचार यंत्र का काम करता है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया साथ ही अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश पर दृष्टिपात किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने भारतीय रेल विभाग के आदेश से ही माल क्रय किया था जिसमें नार्थ रेल्वे के आर्डर में कोई भी इलेक्ट्रिकल्स गुड्स संबंधी आदेश नहीं है, और न ही नोटिफाईड गुड्स की श्रेणी में आता है। अतः वैट प्रपत्र-47 की आवश्यकता केवल अधिसूचित कर योग्य माल पर ही होती है। उक्त माल इलेक्ट्रीकल गुड्स नहीं माना जा सकता, चूंकि यह एक टेलीकम्यूनिकेशन का सामान है जो भारतीय रेल को आवागमन की सुविधा के लिये संदेश वाहक का काम करता है इसलिये उक्त परिवहनित माल संचार यंत्र की श्रेणी में होने के कारण वैट-47 की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। केवल इलेक्ट्रीक धारा प्रवाह मात्र से इलेक्ट्रिकल गुड्स की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों का अपीलाधीन आदेश में समावेश करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 58,320/-को अपास्त किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है। अतः अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2011 की पष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य